

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: लेखा/बैठक/2017/5156


दिनांक: 09-01-2018

लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों की मासिक बैठक दिनांक 18.01.2018

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक जोन कार्यालयों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालयों/कार्यालयों में पदस्थापित लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारियों एवं लेखाकर्मियों की आयोजित की जाने वाली मासिक बैठक प्रशासनिक कारणों से दिनांक 15.01.2018 के स्थान पर दिनांक 18.01.2018 को अधोहस्तारकर्ता की अध्यक्षता में प्रातः 11:00 बजे स्वास्थ्य भवन मीटिंग हॉल में आयोजित की जायेगी। जिसमें निम्नांकित बिन्दुवार चर्चा की जावेगी।
समस्त लेखाकर्मियों नियमित रूप से लायी जाने वाली सूचनाओं के साथ निम्नलिखित बिन्दुओं पर सूचना बैठक में अपने साथ लेकर आयेगें:-


1. बकाया मासिक आय एवं व्यय (माह दिसम्बर, 2017 तक) के विवरण।
2. BSBY योजना के तहत राजकोष में जमा कराई गयी राशि सम्बन्धी सूचना।
3. आरएमआरएस योजना के तहत उपलब्ध शेष राशि संबंधी सूचना।
4. 7वें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन स्थिरीकरण की नवीनतम स्थिति की सूचना।
5. आरएमआरएस में दिनांक 01.04.2017 को प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों के पास रही अवशेष राशि की सूचना।
6. बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं (MPW) के अवमानना प्रकरणों में बकाया भुगतान सम्बन्धी सूचना।
7. महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदनों की समस्त प्रथम अनुपालनाएं एवं बकाया प्रतिवेदनों के लम्बित आक्षेपों की ठोस अनुपालनाएं।
8. वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर, 2017 तक कार्यालयों के नकारा/सरप्लस/अनुपयोगी सामान का निस्तारण/पुराने रिकार्ड का नष्टीकरण एवं अवधिपर भेषज एवं औषधियों का निस्तारण सम्बन्धी सूचना।
9. चोरी/गबन के प्रकरणों के सम्बन्ध में केसवार नवीनतम सूचनाएं।
10. शिकायतों (अनियमित निविदा, गबन, जांच प्रकरण) के संबंध में जोन कार्यालयों से मांगे गये तथ्यात्मक रिपोर्ट की प्रति बैठक में साथ लेकर आवें।
11. निदेशक, निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण एवं ठोस अनुपालनाएं।
12. निदेशक निरीक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2017 में शेष रहें बकाया भण्डार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की अनुपालनाएं।
13. आन्तरिक निरीक्षण प्रतिवेदनों की समस्त प्रथम अनुपालनाएं एवं शेष सभी बकाया आक्षेपों की ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनाएं।
14. बकाया ओबी आईटम्स।
15. एसी बिल से आहरित राशि के सम्बन्ध में लम्बित डीसी बिल।
16. प्रपत्र 1 से 8 की सूचनाएं। प्रपत्र संख्या 1, 4 एवं 8 की सूचना अलग एवं प्रपत्र संख्या 2, 3, 5, 6 एवं 7 की सूचना अलग से जोनवार समेकित।

क्रमांक: लेखा/बैठक/2017/5156


विद्युत सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर
दिनांक: 09-01-18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति० निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन) मुख्यालय।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, सैटी कॉलोनी, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा०)/(परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज० जयपुर।
6. लेखाधिकारी(मु०/बजट/निरीक्षण)/सहायक लेखाधिकारी (बजट/आं.अंके./एजी ऑडिट/एसपीओ) मुख्यालय।
7. भण्डार अधिकारी, मुख्यालय (मुख्यालय स्थित वाहन एवं भण्डार सामग्री के निस्तारण बाबत)
8. समस्त लेखा०/सहा० लेखा०, कार्यालय संयुक्त निदेशक जोन/मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी/प्र. चि. अधिकारी
9. श्री रामजी लाल मीणा, श्री महेश गुप्ता, एवं श्री नवरत्न बैरवा आन्तरिक अंकेक्षण अनुभाग मुख्यालय को मीटिंग में उपस्थित रहने हेतु।
10. केयर टेकर, निदेशालय कृपया दिनांक 18.01.2018 को मीटिंग हेतु प्रातः 11:00 बजे से हॉल आरक्षित करें।
11. प्रभारी, सर्वर, रूम (मु.) कृपया इस सूचना को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।


उप विद्युत सलाहकार,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर